(42)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कॉडा मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बलुवाकोट(कांड़ा), तहसील– धारचूला, जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

उत्तराखण्ड में जनपद – पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट काड़ा मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी. परियोजन के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.850 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.850 हे0 वन भूमि का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट,के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलुवाकोट (कांडा) द्वारा दिनाक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि बलुवाकोट (कांडा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम सचिव

ह0/ ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत बलुवाकोट
विकास खण्ड – धारचूला
जनपद – पिथौरागढ़

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक :– 10-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पचायत – बलुवाकोट (काडा)।

कमाक	ग्राम सभा मे उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible] सिंह सैनी	[illegible]
(2)	हंशा सिंह सैनी	हंसा सिंह
(3)	विक्रम सिंह सैनी	[illegible]
(4)	तारा सिंह सैनी	तारा सिंह
(5)	रामानन्द भट्ट सरपंच	R.N. Bhatt
(6)	[illegible]	P.D. Bhatt
(7)	[illegible]	[illegible]
(8)	[illegible]	[illegible]
(9)	[illegible]	[illegible]
(10)	दामोदर भट्ट	D. Bhatt
(11)	उमादत्त भट्ट मेम्बर	[illegible] Bhatt
(12)	हरिदत्त भट्ट	हरी दत्त
(13)	[illegible] सिंह	[illegible]
(14)	मोहन सिंह	[illegible]
(15)	प्रकाश भट्ट	[illegible]
(16)	रमेश	[illegible]
(17)	नन्दवल्लभ भट्ट	[illegible] Bhatt
(18)	केशव दत्त	[illegible]

MSC
सदस्य
क्षेत्र पंचायत वा0 प0 31
बलुवाकोट (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बलुवाकोट
विकास खण्ड – धारचूला
जनपद – पिथौरागढ़

Scanned by CamScanner

(44)

परियोजना का नाम :–

जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी. । (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.850 है0 सिविल एव सोयम वन भूमि 0.00 है0 वन पचायत भूमि, अर्थात कुल 1.850 है0 वन भूमि) का निमार्ण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – धारचूला) की दिनांक 25-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2– श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी———————— सदस्य
3– श्री जीतराम आर्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी– धारचूला सदस्य / सचिव
4– श्रीमती मीना भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र —कांडा——————— सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत बलुवाकोट (पिथौरा...

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक मे स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना हेतु 1.960 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एव तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सबध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

Scanned by CamScanner

परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–धारचूला,
जनपद – पिथौरागढ़

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला-(पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – धारचूला
जनपद – पिथौरागढ़

(46)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रंहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

(47)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद – पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु0.1.850 .हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (सपदमंत) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(10)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड़ धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी0 हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड़ धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी0 (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.850 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.850 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 6.12.018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी. र. शेखर......, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सी. रविशंकर अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2– श्री विनय भार्गव सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।

3– श्री ए0 के0 शर्मा सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

4– श्रीमती मन्जुला बुदियाल सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ....।

5– श्री अमर चन्द सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र मेतली-5

6– श्री कमलेश आर्या सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सरमोली।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बलुवाकोट कांडा मोटर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 2.000 किमी0) परियोजना हेतु 1.850 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड़ धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़। जिलाधिकारी पिथौरागढ़	प्रभागीय वन अधिकारी *प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य) पिथौरागढ़।*	*जिला समाज कल्याण अधिकारी, (सदस्य/ सचिव) (पिथौरागढ़।* जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़
जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य) क्षेत्र मन्जुला बुदियाल सदस्य जिला पंचायत (01 सिदांग) धारचूला पिथौरागढ़	*जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य) क्षेत्र* सदस्य मेतली-5	*जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य) क्षेत्र* कमलेश राम आर्या सदस्य जिला पंचायत - सरमोली मुनस्यारी, पिथौरागढ़

FROM -1

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

No. ...42.........   Dated...6.12.018...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.850** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction Baluwakot, Kanda Moter Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Baluwakot Village in Dharchula Tahsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **1.850** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official
seal of the District Collector)

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.250 of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

27/X/18
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिला समाज कल्याण अधिकारी